

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

फैकल्टी: Ms. Farah (राजनीति विज्ञान व्याख्याता)

कॉलेज: स्वामी विवेकानंद गर्ल्स कॉलेज, रूपनगढ़

विषय: राजनीति विज्ञान | कक्षा: BA प्रथम वर्ष | सेमेस्टर: 1



प्रतिनिधित्व प्रणाली का परिचय



मतदान का महत्व

लोकतंत्र में जनता का सरकार में प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। प्रतिनिधित्व प्रणाली यह तय करती है कि मतदाताओं के मतों को संसद या विधानसभा में कैसे परिवर्तित किया जाए।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ

सरल परिभाषा

प्रत्येक राजनीतिक दल को सीटें उसके प्राप्त मतों के अनुपात में मिलती हैं।

मुख्य सिद्धांत

अगर कोई दल 40% मत प्राप्त करता है, तो उसे कुल सीटों का लगभग 40% हिस्सा मिलना चाहिए।

उद्देश्य

सभी समूहों को समान रूप से सुना जाए और कोई मत व्यर्थ न जाए।

प्रमुख विशेषताएँ

01

बड़े निर्वाचन क्षेत्र

कई सीटों वाले बड़े क्षेत्र बनाए जाते हैं, जहाँ एक साथ कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं।

03

दलों की सूची

राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करते हैं।

02

अनुपातिक वितरण

सीटों का वितरण मतों के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।

04

सीट आवंटन

मतों के अनुपात के आधार पर दलों को सीटें आवंटित की जाती हैं।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार

1


लिस्ट प्रणाली (List System)

दल अपने उम्मीदवारों की सूची देते हैं। मतदाता दल को वोट देते हैं। मतों के अनुपात में सीटें आवंटित होती हैं।

2

सिंगल ट्रांसफरबल वोट (STV)

मतदाता उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को बाहर किया जाता है और मत स्थानांतरित होते हैं।



आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लाभ



न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व

सभी दलों और समूहों को उनके मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है।



विविधता का समावेश

छोटे दलों और सीमांत समूहों को भी संसद में स्थान मिलता है।



कम मत व्यर्थ

ज्यादातर मत सीटों में परिवर्तित होते हैं, कम मत बर्बाद होते हैं।



सहयोग को प्रोत्साहन

कोई दल अकेले बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए गठबंधन और सहयोग बनता है।

सीमाएँ और आलोचनाएँ

→ राजनीतिक अस्थिरता

कई दलों के साथ सरकार बनाना मुश्किल होता है। गठबंधन टूट सकते हैं।

→ जटिल प्रक्रिया

मतदाताओं के लिए समझना और सीट आवंटन की प्रक्रिया कठिन होती है।

→ स्थानीय प्रतिनिधित्व की कमी

दल की सूची से चुने गए प्रतिनिधि स्थानीय क्षेत्र से कम जुड़े होते हैं।





भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व

1

राज्यसभा चुनाव

राज्यसभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं।

2

राष्ट्रपति चुनाव

राष्ट्रपति का चुनाव Single Transferable Vote प्रणाली से होता है।

3

उपराष्ट्रपति चुनाव

उपराष्ट्रपति भी STV प्रणाली से चुने जाते हैं।

4

विधान परिषद

कुछ राज्यों की विधान परिषद में भी यह प्रणाली प्रयुक्त होती है।

प्रणाली की तुलना

बहुमत प्रणाली

- प्रत्येक क्षेत्र से एक सीट
- सबसे ज्यादा मत पाने वाला जीतता है
- मजबूत सरकार बनती है
- छोटे दलों को अवसर कम

आनुपातिक प्रणाली

- कई सीटों वाले बड़े क्षेत्र
- मतों के अनुपात में सीटें
- गठबंधन सरकार बनती है
- सभी दलों को प्रतिनिधित्व

निष्कर्ष



न्याय की प्रणाली

आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी समूहों को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व देती है।



वैश्विक प्रयोग

कई देशों में यह प्रणाली सफलतापूर्वक प्रयुक्त होती है।



संतुलन की आवश्यकता

न्याय और स्थिरता के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक विकल्प है जो विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देता है, लेकिन इसकी चुनौतियाँ भी हैं।